न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री मासिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या :— 19/2024

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थी
1 मोहनलाल पुत्र रूपाराम 2 कन्हैयालाल पुत्र मांगीलाल 3 इन्द्रादेवी पुत्री घेवरराम जातिगण सरगरा निवासीगण चण्डावल तहसील सोजत जिला पाली राज0।		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सोजत(भू0अ0) सोजत

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः—

1. श्री सुरेन्द्र वैष्णव अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. तहसीदार सोजत अप्रार्थी उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक :— 21/08/2025

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा चण्डावल के खसरा संख्या 834 पर आने जाने से खसरा संख्या 840/4 से खसरा संख्या 836 रकबा 0.6200 किस्म गै0मु0 तेडिया में से 30 फीट चौडा रास्ता सलंग्न नजरी में दर्शित लाल रंग के अनुसार दिलवाये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर पर्याप्त अवसर के बावजूद जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने से अवसर समाप्त कर आज जवाब प्रार्थना पत्र बंद किया गया।

तहसीलदार सोजत से प्रार्थित रास्ते के सम्बन्ध में वांछित तीनो बिन्दु यथा उपलब्ध वैकल्पिक/निकटतम रास्ता, सुविधा जनक उपयोग हेतु आवेदन, अत्यांतिक आवश्यकता है अथवा नहीं से सम्बद्ध बरूवे मौका रूबरू उभय पक्षकारान मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा चाही गई। तहसीलदार, सोजत ने अपने पत्रांक/राजस्व/2025/578 दिनांक 06.05.2025 के जरिए प्रस्तुत मौके की वस्तुस्थिति मय नजरी नक्शा सा0मि0 की गई। तहसीलदार सोजत द्वारा सम्बन्धित पटवारी, भू0अभि0निरी0 चण्डावल, द्वारा तैयार फर्द मौका रूबरू प्रार्थी पक्षकार एवं मौतबिरान तैयार मय नजरी नक्शा रिपोर्ट में अंकित किया कि प्रार्थीगण द्वारा ग्राम चण्डावल के खसरा नम्बर 834 में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 836 किस्म गै0मु0 तेड़ में से रास्ते की मांग की गई हैं। प्रार्थीगण द्वारा सरकारी ख0नं0 836 किस्म गै0मु0 तेड़ में से अपनी खातेदारी में आवागमन हेतु रास्ते की मांग की गई हैं। प्रस्तावित रास्ता सिवायचक ख0नं0 836 रकबा 0.6200 है0 किस्म गै0मु0 तेड़िया में से 320 वर्ग मीटर तथा अन्य वैकल्पिक रास्ता खातेदारी ख0नं0 833/1 रकबा 0.5700 है0 में से 16 वर्गमीटर हैं। प्रस्तावित खसरा एनएच 162 से 500 मीटर दूरी व गांव की मुख्य आबादी से 1 कि0मी0 दूरी पर है। मौके पर कोई पक्का निर्माण नहीं हैं। ख0नं0

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

833/1 में मार्क ABCD को मौके पर रास्ते के रूप में ही उपयोग में लिया जाता हैं, की रिपोर्ट पेश की, सा0मि0 हो।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी व तहसीलदार सोजत सुनी गई। वहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए सरहद मौजा चण्डावल के खसरा संख्या 834 पर आने जाने से खसरा संख्या 840/4 से खसरा संख्या 836 रकबा 0.6200 किस्म गै0मु0 तेडिया में से 30 फीट चौडा रास्ता सलंग्न नजरी में दर्शित लाल रंग के अनुसार दिलवाये जाने की ईश्तदुआ की है। जवाव वहस में तहसीलदार सोजत ने विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना जांहिर किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस अधिवक्ता प्रार्थी तथा तहसीलदार सोजत को सुना तथा राजस्व रेकर्ड मय मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा का गहनता से अध्ययन किया। यहा सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) का उल्लेख करना आवश्यक है। जिसके अनुसार "1. यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता नहीं है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिये है और 2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध नहीं किया गया है,।" चूंकि हस्तगत प्रकरण में उपरोक्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी व अन्य की खातेदारी कृषि भूमि ख0नं0 833/1 से लगती हुई है, जो राजस्व नक्शे में रास्ता के रूप तरमीम है तथा मौके पर रास्ते के रूप में ही उपयोग में लिया जाता हैं। जिससे वैकल्पिक रास्ते का अभाव होना तथा रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता होना साबित नहीं होता हैं। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के Mandatory Provision को पूर्ण नहीं करने तथा स्वीकार योग्य नहीं होने से स्वीकार किया जाना उचित नहीं समझते है।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

-: आदेश :-

अतः उपरोक्त विवेचना/विश्लेषणानुसार अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट 1955 का पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
सहायक कलक्टर, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 21/08/2025 को सरे इजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
सहायक कलक्टर, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)